

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मकराना
बहजलास - श्री राजवीर सिंह चौधरी

वादी -

1. सीता पत्नी सीताराम जाति हरिजन निवासी रानीगांव तह. मकराना
2. डालूराम पुत्र चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी रानीगांव तह. मकराना

प्रतिवादी -

1. हनुमान पुत्र घीसा
2. प्रहलाद पुत्र घीसा
3. सुन्दर पुत्र घीसा
4. खमाराम पुत्र घीसा
5. उगमाराम पुत्र घीसा
6. सूटा पुत्र घीसा
7. गोपाल पुत्र जसू
8. मांगीलाल पुत्र जसू
9. नानकी बेवा जसू
सभी जाति हरिजन निवासी रानीगांव तह. मकराना
10. शैतानराम पुत्र प्रभुराम जाति हरिजन नि. रानीगांव तह. मकराना
11. शंकरलाल पुत्र तेजाराम
12. रामप्यारी पत्नि रिधाराम
13. रूपाराम पुत्र घासी राम
14. शंकर लाल पुत्र तेजाराम
15. छोलाराम पुत्र बीरमाराम
16. धर्मराम पुत्र भागीरथ
17. नारायण पुत्र भागीरथ
18. हजारीराम पुत्र बागाराम
19. बजरंगी पत्नि जेताराम
20. जगदीश पुत्र जेताराम
21. ओमप्रकाश पुत्र जेताराम
22. रामप्यारी पुत्री जेताराम
23. भंवरलाल पुत्र कानाराम
24. जैठाराम पुत्र नानूराम
25. रेवताराम पुत्र अमराराम
सभी जाति रेगर नि. रानीगांव तह. मकराना
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना

राजस्व वाद सं. - 74/2015

दावा बाबत घोषणा, व बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राज. काश्तकारी अधिनियम


:: डिक्री ::

वाद वादी माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा रानीगांव खसरा सं. 173 रकबा 10.16 बीघा में से वादी सीता पत्नि सीताराम को रकबा 0.18 बीघा एवं वादी डालूराम पुत्र चन्द्राराम को रकबा 1.02 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रखा जाता है। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री पर्चा का हिस्सा रहेगा। तहसीलदार मकराना को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

इस वाद में खर्चे लेखे..निल. रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ... निल... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहितनिल... के द्वारा ...निल... को दी जावेगी।

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
निल	निल	निल	निल

आज दिनांक ११.११.२०१६ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।


(राजवीर सिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मकराना